

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जुलाई-अगस्त, 2006 सत्र

सोमवार, दिनांक 24 जुलाई, 2006

तारांकित प्रश्नोत्तर

कोयला ब्लाक आवंटन हेतु भारत सरकार, कोल मंत्रालय को भेजी गयी अनुशंसा

1. (*क्र. 342) **मोहम्मद अकबर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न क्रमांक- 202 दिनांक 15-12-2005 के उत्तर के संलग्न परिशिष्ट-तीन में दर्शाए गए 6 कोल ब्लॉक एवं अनुशंसित कंपनी के नामों के अलावा और किसने-किसने इन कोल ब्लॉकों के लिए आवेदन किया था ? विनिश्चय करने के राज्य शासन के क्या मापदण्ड थे ? शासन की अनुशंसा सहित भारत सरकार को कौन-कौन से आवेदन भेजे गए तथा कौन-कौन से आवेदन नहीं भेजे गए ? अनुशंसा नहीं करने के क्या कारण हैं ? (ख) क्या भारत सरकार कोल मंत्रालय से उक्त ब्लॉकों में से मदनपुर कोल ब्लॉकों के आवंटन से संबंधित कोई आदेश या पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब तथा किनको-किनको किन शर्तों के अधीन कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

छत्तीसगढ़ शासन को बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त राशि का जिलों को आवंटन

2. (*क्र. 281) **श्री उदय मुदलियार** : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ शासन को बारहवें वित्त आयोग से 30 जून, 2006 तक कितनी राशि प्राप्त हुई एवं प्रदेश के किन-किन जिलों को 30 जून, 2006 तक कितनी-कितनी राशि आवंटित की गयी ? (ख) राजनांदगांव जिले में किन-किन विधान सभा क्षेत्र के लिये कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिये आवंटित की गयी ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) छत्तीसगढ़ शासन को बारहवें वित्त आयोग से 30 जून, 2006 तक कुल रुपये 123.00 (रुपये एक सौ तेईस करोड़) की राशि प्राप्त हुई. प्रदेश के जिलों को 30 जून, 2006 तक आवंटित की गई राशि का विवरण † संलग्न प्रपत्र "अ" में है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में है.

सी.एस.ई.बी. के अंकेक्षण कार्य हेतु नियुक्त एजेंसियों को भुगतान संबंधी जानकारी

3. (*क्र. 60) **श्री महेन्द्र कर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभागीय अंकेक्षण टीम के अतिरिक्त सी.एस.ई.बी. ने अंकेक्षण कार्य हेतु अन्य एजेंसियों की नियुक्ति की है ? यदि हां, तो कितनी एवं किन-किन को ? (ख) अंकेक्षण कार्य हेतु नियुक्त एजेंसियों को वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 वित्तीय वर्ष में कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी हां, विभागीय अंकेक्षण टीम के अतिरिक्त भी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा प्रोफेशनल सी.ए. फर्मों द्वारा मण्डल के विभिन्न क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों, भण्डार गृहों एवं वितरण केन्द्रों का अंकेक्षण कराया गया है. वर्ष 2003-04 में 22 सी.ए. फर्मों एवं वर्ष 2005-06 में 20 सी.ए. फर्मों द्वारा अंकेक्षण कराया गया है. विस्तृत जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) अंकेक्षण कार्य हेतु नियुक्त प्रोफेशनल सी.ए. फर्मों को वर्ष 2004-05 के दौरान रु. 6,79,795/- एवं वर्ष 2005-06 के दौरान रु. 6,47,310/- का भुगतान किया गया है. वर्ष 2003-04 एवं 2005-06 के दौरान कोई भुगतान नहीं किया गया है.

प्रदेश में जिलेवार राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना पर व्यय एवं आवंटन

4. (*क्र. 66) डॉ. शक्राजीत नाथक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में जिलेवार राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के तहत कितना-कितना आवंटन कब-कब दिया गया है ? 30 जून, 2006 तक कितना-कितना कार्य स्वीकृत करके, कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी है ? (ख) रायगढ़ जिले के रायगढ़, खरसिया, पुसौर, सारंगढ़ एवं बरमकेला विकासखण्डों में रोजगार गारण्टी योजना के तहत विकासखण्डवार कितनी-कितनी राशि के कितने-कितने कार्य 2006-07 में स्वीकृत किये गये हैं ? 30-6-2006 तक मूल्यांकन पश्चात् कितनी-कितनी राशि कार्यवार भुगतान की गयी है ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना अंतर्गत जिलों को दिया गया आवंटन, स्वीकृत कार्य एवं व्यय राशि का जिलेवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“एक” में दर्शित है. (ख) रायगढ़ जिले के रायगढ़, खरसिया, पुसौर, सारंगढ़ एवं बरमकेला विकासखण्डों में स्वीकृत कार्यों एवं राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“दो” एवं 30-6-2006 तक मूल्यांकन पश्चात् भुगतान की राशि का कार्यवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“तीन” में दर्शित है.

विधान सभा क्षेत्र बेमेतरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत सड़कों की जानकारी

5. (*क्र. 235) डॉ. चेतन वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बेमेतरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा वर्ष 2005-06 में कौन-कौन सी सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई ? लंबाई, एवं लागत सहित विवरण दें. (ख) क्या विभाग को इन सड़कों के निर्माण में अनियमितताएं संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो की गई कार्यवाही का विवरण दें.

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) वर्षवार स्वीकृत सड़कों की लंबाई एवं लागत † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शाई गई है. (ख) जो हां. विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शाई गई है.

“जीवन ज्योति योजना” पर व्यय तथा लाभान्वितों की जानकारी

6. (*क्र. 292) श्री संजीव शाह : क्या राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजनांदगांव, विकासखण्ड-अंबागढ़ चौकी एवं मानपुर में “जीवन ज्योति योजना” में वर्ष 2005-06 में किस-किस मद में कितना आवंटन विकासखण्डवार प्रदान किया गया ? (ख) प्रश्नांश “क” के आवंटन को कौन-कौन से मद में कितना-कितना व्यय किया गया ? (ग) वर्ष 2005-06 में जीवन ज्योति योजना से, दोनों विकासखण्ड के कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया ?

राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य (डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी) : (क) एवं (ख) †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ग) 2106 व्यक्तियों को.

रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत कराए गये कार्यों की जानकारी

7. (*क्र. 203) श्री नंद कुमार पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत दिनांक 1-4-2006 से 30-6-2006 तक राज्य सरकार को कितनी राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई ? कितनी-कितनी राशि किस-किस जिले को कब-कब उपलब्ध करायी गयी ? (ख) रायगढ़ जिले में 1-4-2006 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गए एवं कब-कब प्रारंभ किये गये ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “एक” में दर्शित है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “दो” में दर्शित है.

मजदूरों-टोलों का विद्युतीकरण

8. (*क्र. 164) श्री चैतराम साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अतारंकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 602), दिनांक 21-2-2006 के उत्तर में बताए अनुसार मजदूरों-टोलों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है ? (ख) यदि नहीं, तो किन कारणों से, किस स्तर पर लंबित है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा प्रश्न क्रमांक 602 के उत्तर में लंबित बताए गये 5 मजदूरों/टोलों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है. (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

चांपा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी

9. (*क्र. 01) श्री मोतीलाल देवांगन : क्या राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चांपा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन स्थानों पर, किस-किस तिथि से उप-स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं एवं किस तिथि से संचालित किए जा रहे हैं ? (ख) स्वीकृत अस्पतालों में कौन-कौन से अस्पताल भवन विहीन हैं ? भवनों की स्वीकृति कब तक की जाकर, निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा ?

राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य (डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी) : (क) चांपा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं एवं उनके संचालन की तिथि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर है. (ख) स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं में भवन विहीन संस्थाओं का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" पर है. भवनों की स्वीकृति कब तक दी जायेगी इसकी समय-समय पर बताया जाना संभव नहीं है.

12वें वित्त आयोग द्वारा दुर्ग जिले को स्वीकृत राशि

10. (*क्र. 239) श्रीमती रमशीला साहू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बारहवें वित्त आयोग द्वारा दुर्ग जिले के लिए कितनी धनराशि प्रस्तावित एवं स्वीकृत है ? विकासखण्ड स्तर पर बतावें ? (ख) गुण्डरदेही एवं पाटन विकासखण्ड में कौन-कौन से कार्य की स्वीकृति दी गई है ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) बारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2005-06 में दुर्ग जिले के लिए कुल राशि रुपये 1188.82 लाख (रुपये ग्यारह करोड़ अठासी लाख बियासी हजार) स्वीकृत है. विकासखण्ड जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है.

बिल्हा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम हिरों में पत्थर उत्खनन के लिए दिये गये पट्टे

11. (*क्र. 141) श्री सियाराम कौशिक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हिरों के खसरा क्र. 141/01 (क) के कुल कितने रकबे को पत्थर उत्खनन के लिये किस-किस को और कब से पट्टे पर दिया गया है ? (ख) क्या यह सत्य है कि उक्त खसरा राजस्व अभिलेख में छोटे बड़े झाड़ू के जंगल मद में दर्ज है ? (ग) यदि हां, तो उक्त पत्थर उत्खनन पट्टे किस आधार पर दिये गये हैं ? उक्त खदानों को कब तक बंद कराया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

पंचायतों में खेल सामग्री के क्रय संबंधी जानकारी

12. (*क्र. 318) श्री त्रिलोचन पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, दुर्ग के पृ. क्र. 4307/स.शि./2005-06 दिनांक 26-9-2005 एवं पंचायत समाज सेवा, संचा. छ.ग. के पत्र क्र. पंचा. 856/2004/998 दिनांक 4-10-2004 के अनुक्रम में जिले में किन-किन पंचायतों में खेल सामग्री क्रय की गयी ? (ख) क्या पंचायतों की बिना स्वीकृति के राशि आहरित की गई ? (ग) यदि हां, तो पंचायतों की बिना पूर्व स्वीकृति के आहरित राशि की वसूली क्या राज्य शासन करेगा ? अगर हां, तो किससे ? कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जांच उपरांत स्थिति स्पष्ट हो पायेगी। (ग) जांच उपरांत गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण में अनियमितता पर कार्यवाही

13. (*क्र. 335) **श्री संजय डीडी** : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत रायपुर जिले में विगत दो वर्षों में कहां-कहां सड़क निर्माण किया गया ? जानकारी विधान सभावार दें ? (ख) क्या ये सही है कि सड़क निर्माण में अनियमितता संबंधी शिकायत विभाग को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) कंडिका (क) के रोड निर्माण की गुणवत्ता की जांच के लिए क्या किसी एजेंसी को नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन को, और उन्हें उसका पारिश्रमिक किस दर से दिया गया ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) विधान सभावार सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-एक" में है। (ख) जी हां, जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की गयी। (ग) जी हां, जानकारी पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट दो" में है।

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत काटी गई बिजली

14. (*क्र. 338) **महन्त रामसुन्दरदास** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों की बिजली पूर्ण रूप से काट दी गई है ? (ख) उक्त ग्रामों की बिजली क्यों काटी गयी ? क्या बिजली काटने से पहले सूचना दी गयी थी ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) किसी ग्राम को नहीं (30 जून, 2006 की स्थिति में)। (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

15. (*क्र. 310) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन भिलाई-मोखला-कोसमखूंदी मार्ग एवं मोखला-बरभाठा नरीयरा बिरबिरा सड़क का कार्यादेश कब, किस ठेकेदार को एवं कितनी राशि का दिया गया था तथा कार्य की पूर्णता हेतु दी गई अवधि की जानकारी दें ? (ख) उक्त मार्गों में कौन-कौन से कार्य अधूरे हैं तथा कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है। (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के स्तंभ 7 एवं 8 में दर्शाई गई है।

आरी-डोंगरी आयरन ओर डिपाजिट को सार्वजनिक उपक्रम के लिये सुरक्षित किए जाने के संबंध में

16. (*क्र. 138) **श्री भूपेश बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 14 फरवरी, 1962 को तात्कालिन मध्यप्रदेश शासन ने आरी-डोंगरी आयरन ओर डिपाजिट जिला बस्तर को सार्वजनिक उपक्रम के लिये सुरक्षित करने हेतु अधिसूचना जारी की थी ? (ख) यदि हां, तो इसे कब अनारक्षित किया गया है ? यदि नहीं, तो आरी-डोंगरी का संपूर्ण क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज निगम को स्वीकृत करने के बजाय उसके एक भाग को निजी संस्थान इस्पात गोदावरी को किस आधार पर पी.एल. स्वीकृत की जाकर एम. एल. स्वीकृति को अनुशंसा की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी हां। (ख) मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 6616/6176/XII, दिनांक 2-12-71 द्वारा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम अथवा हिन्दुस्तान भिलाई स्टील लिमिटेड भिलाई को लौह अयस्क के लिए खनिजपट्टे तथा पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति में प्रदानित क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के समस्त लौह अयस्क के क्षेत्र राज्य शासन द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित संस्थान

द्वारा खनन करने के लिये सुरक्षित किये गये। बाद में अधिसूचना क्रमांक 3-122/79/XII, दिनांक 2 फरवरी, 1981 द्वारा जिला दुर्ग तथा बस्तर स्थित लौह अयस्क भण्डारों हेतु यह प्रावधान किया गया कि इन जिलों में ऐसे निजी प्रतिष्ठानों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जावेगा जो इस खनिज के आधार पर उद्योग की स्थापना करके खनिज प्राप्त करने के इच्छुक हों। तदनुसार दुर्ग एवं बस्तर जिले के लौह अयस्क डिपॉजिट 2 फरवरी, 1981 की अधिसूचना के उपरान्त केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित नहीं हैं।

सारंगढ़ तहसील में अवैध उत्खनन के संबंध में

17. (*क्र. 301) **सुश्री कामदा जोल्हे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगढ़ तहसील में गौण खनिज चूना-पत्थर उत्खनन के लिए किन-किन को पट्टा दिया गया है ? (ख) क्या पट्टाधारी व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है ? (ग) अवैध उत्खनन करने वाले लोगों के ऊपर क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) सारंगढ़ तहसील में गौण खनिज चूनापत्थर उत्खनन के लिए 45 व्यक्तियों को पट्टा दिया गया है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" पर है। (ख) पट्टेधारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने के 60 प्रकरण [वर्ष 2004-2005 में 41 प्रकरण, वर्ष 2005-2006 में 15 प्रकरण तथा वर्ष 2006-2007 (30 जून 2006 तक) 04 प्रकरण] दर्ज किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" पर है। (ग) प्रश्नांश ख में दर्शित अवैध उत्खनन के सभी 60 प्रकरण कलेक्टर रायगढ़ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। जिनमें से 7 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर रुपये 1,06,825.00 अर्थदण्ड वसूल किया गया तथा शेष प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में लंबित हैं।

प्रदेश के शिक्षा कर्मियों की विभिन्न मांगों से संबंधित गठित राऊत कमेटी की सिफारिशों पर कार्यवाही

18. (*क्र. 268) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कार्यरत पंचायत कर्मी एवं शिक्षा कर्मियों की विभिन्न मांगों के संबंध में क्या राऊत कमेटी की सिफारिशें शासन को प्राप्त हो गयी हैं ? (ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों पर शासन ने क्या कार्यवाही की है तथा कौन-कौन सी मांगें पूर्ण की गई हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) जी हां। (ख) कार्यवाही प्रचलित है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

दुर्ग जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन संबंधी जानकारी

19. (*क्र. 185) **डॉ. बालमुकुन्द देवांगन** : क्या राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले के सामु. स्वा. केन्द्र अर्जुन्दा में चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति की जाएगी ? (ख) खेरथा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक की जावेगी ?

राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य (डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी) : (क) सेटअप स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। अतः रिक्त पदों की संख्या बताना संभव नहीं है। (ख) खेरथा में एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अर्जुन्दा है। अतः उत्तर "क" अनुसार।

बिलाईगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत नलकूप कनेक्शन के संबंध में

20. (*क्र. 106) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के बिलाईगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत 28 जून, 2006 की स्थिति में कितने कृषकों को नलकूप का कनेक्शन (स्थायी/अस्थायी) देना बाकी है तथा 1 जनवरी, 2005 से 28 जून, 2006 तक कितने कृषकों को स्थायी नलकूप कनेक्शन दिया गया ? (ख) 1 जनवरी, 2005 से 28 जून, 2006 की स्थिति में कृषकों द्वारा बिजली बिल का भुगतान नहीं किये जाने के कारण कौन-कौन से गांव की बिजली काट दी गई है ? (ग) उक्त समयावधि में बिलाईगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत कितने रुपयों का बिजली बिल बकाया है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) 28 जून, 2006 की स्थिति में, औपचारिकता पूर्ण करने वाले 14 कृषकों के नलकूपों पर स्थायी कनेक्शनों के कार्य किया जाना बाकी है, किसी कृषक के आवेदन पर अस्थायी नलकूप कनेक्शन देना बाकी नहीं है। 1 जनवरी, 2005 से 28 जून, 2006 तक कुल 123 कृषकों के नलकूपों पर स्थायी कनेक्शनों के कार्य पूर्ण किये गये हैं। (ख) किस गांव की नहीं। (ग) दिनांक 1 जनवरी, 2005 की स्थिति में बकाया राशि 59,19,136 रुपये एवं 28 जून, 2006 की स्थिति में 72,38,136 रुपये हैं।

बालको कम्पनी द्वारा उत्खनन हेतु अधिग्रहित भूमि

21. (*क्र.98) **श्री अमरजीत भगत :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा जिले में बालको कम्पनी द्वारा मैनपाट में बाक्साइट उत्खनन कार्य कब से किया जा रहा है तथा उन्हें निजी एवं शासकीय भूमि के कितने क्षेत्रफल का लीज कब-कब दिया गया ? मुआवजा भुगतान की क्या स्थिति है ? (ख) क्या कलेक्टर सरगुजा द्वारा बालको कम्पनी को नियम का पालन नहीं करने या लीज समाप्त करने हेतु पत्र लिखा गया है ? यदि हां, तो कब ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) बालको कम्पनी को सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र में 22.138 हेक्टर निजी भूमि एवं 417.03 हेक्टर शासकीय भूमि कुल 639.169 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज बाक्साइट का खनिपट्टा दिनांक 27-3-1992 को स्वीकृत किया गया है। क्षेत्र में खनिज बाक्साइट का खनन दिनांक 19-3-1993 से किया जा रहा है। प्रस्ताधोन खनिपट्टा क्षेत्र में जिन 105 खातेदारों की निजी भूमि अधिग्रहित की गई है, उनमें से 93 को रुपये 97,30,481/- मुआवजा राशि भुगतान कर दी गई है तथा 12 खातेदारों को रुपये 85,140/- मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना विभिन्न कारणों से शेष है। यह राशि कलेक्टर कार्यालय में जमा है। (ख) जी हां। कलेक्टर सरगुजा ने बालको प्रबंधन को संबोधित पत्र दिनांक 30-8-2005 द्वारा खनिपट्टे की कतिपय शर्तों तथा नियमों का पालन न करने व लीज समाप्त करने के संबंध में प्रबंधन का स्पष्टीकरण चाहा गया था।

ग्राम स्वराज अभियान में प्राप्त आवेदन/शिकायत

22. (*क्र. 32) **श्री नोबेल कुमार वर्मा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत वर्ष 2006-07 में जिला जांजगीर-चांपा में कौन-कौन से ग्रामों का भ्रमण किया गया तथा भ्रमण के दौरान कुल कितने आवेदन/शिकायतें प्राप्त हुईं ? (ख) मुख्यमंत्री द्वारा भ्रमण के दौरान कौन-कौन सी घोषणा की गई तथा कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) ग्राम सपोस जनपद पंचायत डभरा एवं ग्राम हरदी जनपद पंचायत अकलतरा का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान कुल 103 आवेदन पत्र/शिकायत प्राप्त हुईं। (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है।

पेंशनर्स के इलाज के लिए दवाई खरीदने हेतु बजट प्रावधान

23. (*क्र. 327) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006-07 में पेंशनर्स के इलाज के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल, रायपुर में कितने बजट का प्रावधान किया गया है तथा कितनी राशि की दवाईयां खरीदी गई हैं ? (ख) पेंशनर्स के लिए क्रय की गई दवाईयां का उपयोग कितने पेंशनर्स ने किया और कितनी राशि की दवाईयां शेष हैं ? (ग) क्या यह सही है कि पेंशनर्स को अस्पताल से दवाईयां नहीं मिल रही हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य (डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी) : (क) रुपये दस लाख। रुपये 6,47,052.00 की औषधियां स्थानीय क्रय पर उपलब्ध कराई गईं। (ख) 1076 पेंशनर्स ने, रुपये 3,52,948/- शेष, दवा पूर्व से क्रय नहीं की जाते। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ग्राम पंचायत छपरी, ग्राम चौरा में तालाब निर्माण संबंधी

24. (*क्र. 343) **मोहम्मद अकबर :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि माह अप्रैल, मई एवं जून, 2005 में भोरमदेव के पास स्थित ग्राम चौरा, विकासखण्ड बोडला, जिला कबीरधाम में तालाब निर्माण का कार्य कराया गया है ?

यदि हां, तो कितनी लागत से किसके द्वारा, क्या-क्या कार्य कराया गया है ? (ख) उक्त कार्य में कितनी राशि का भुगतान किस-किस मद में किसको-किसको हो चुका है तथा कार्य किसके-किसके नियंत्रण में हुआ है तथा अद्यतन स्थिति क्या है ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) जी हां. माह अप्रैल, मई एवं जून, 2005 में भोरमदेव के पास स्थित ग्राम चौरा, विकासखण्ड बोडला, जिला कबीरधाम में राष्ट्रीय सम विकास योजनांतर्गत तालाब निर्माण का कार्य करवाया गया है. इस कार्य हेतु कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कबीरधाम को रुपये 13.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी एवं क्रियान्वयन एजेन्सी बनाया गया. तालाब निर्माण में मिट्टी कार्य जैसे खुदाई, बंड तक मिट्टी ढुलाई, लेवलिंग एवं ड्रेसिंग का कार्य कुल लागत रुपये 12,91,150.00 का कराया गया है. (ख) चूंकि उक्त कार्य क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा श्री वनीत सिंह छाबड़ा के माध्यम से ट्रेक्टर से करवाया गया अतः श्री वनीत सिंह छाबड़ा को रुपये 12,91,150.00 का भुगतान कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कबीरधाम द्वारा किया गया. उक्त कार्य तात्कालीन कार्यपालन अभियंता श्री ए. के. शुक्ला एवं अनुविभागीय अधिकारी श्री व्ही. एस. साहू के तकनीकी एवं प्रशासकीय नियंत्रण में उप अभियंता श्री डी. डी. वासनिक द्वारा कराया गया है. उक्त कार्य 30-6-2005 को पूर्ण हो चुका है.

छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय अस्पताल में टेली-मेडिसिन की व्यवस्था

25. (*क्र. 282) **श्री उदय मुदलियार :** क्या राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य महोदय यह बताने का कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ के किन-किन शासकीय जिला हास्पिटल में टेली-मेडिसिन व्यवस्था लागू है ? इस व्यवस्था को लगाने हेतु प्रत्येक जिला हास्पिटल में कितना खर्चा आया ? (ख) क्या वर्तमान में उक्त सभी शासकीय जिला चिकित्सालयों में टेली-मेडिसिन व्यवस्था संचारू रूप से शुरू है ? (ग) अगर नहीं, तो किन-किन जिला चिकित्सालयों में नहीं है और क्या कारण है ?

राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य (डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी) : (क) † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) जी नहीं. (ग)

1. जिला चिकित्सालय रायपुर-नये भवन की व्यवस्था होने पर.
2. जिला चिकित्सालय बिलासपुर-नये भवन की व्यवस्था होने पर.
3. जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा-नये भवन तैयार हो चुका है एवं प्रारंभ करने की व्यवस्था प्रक्रियाधीन है.
4. जिला चिकित्सालय कोरिया-नया भवन तैयार हो चुका है एवं प्रारंभ करने की व्यवस्था प्रक्रियाधीन है.
5. जिला चिकित्सालय कोरबा-उपकरणों के चोरी होने के कारण नये सिरे से प्रारंभ करने की व्यवस्था प्रक्रियाधीन है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट " एक "

[तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 281) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

12वें वित्त आयोग अन्तर्गत 30 जून 2006 तक जिलों को प्रदाय किया गया बंटन का विवरण

(राशि रुपये लाख में)

क्रमांक	जिले का नाम	12वें वित्त आयोग के अंतर्गत आवंटित राशि	ब्याज की राशि	कुल प्रदाय किया गया बंटन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायपुर	1480.98	7.67	1488.65
2.	महासमुंद	539.24	2.80	542.04
3.	धमतरी	435.14	2.25	437.39
4.	दुर्ग	1182.70	6.12	1188.82
5.	राजनांदगांव	764.74	3.96	768.70
6.	कबीरधाम	396.56	2.05	398.61
7.	बस्तर	999.32	5.17	1004.49
8.	दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	673.18	3.48	676.66
9.	उत्तर बस्तर कांकेर	480.98	2.50	483.48
10.	बिलासपुर	1046.52	5.42	1051.94
11.	जांजगीर-चांपा	772.60	4.00	776.60
12.	कोरबा	508.66	2.63	511.29
13.	रायगढ़	764.36	3.96	768.32
14.	सरगुजा	1370.76	7.10	1377.86
15.	जशपुर	534.32	2.76	537.08
16.	कोरिया	349.94	1.82	351.76
योग		12300.00	63.69	12363.69

प्रपत्र "ब"

12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुशंसित/स्वीकृत कार्य एवं राशि का विधान सभाक्षेत्रवार जानकारी

क्र	विधान सभा क्षेत्र का नाम	विधान सभावार आवंटित राशि	ज़िला पंचायत भवन	ग्राम पंचायत भवन/सह उचित मूल्य दुकान	आंगनवाड़ी भवन	इन्द्रप्रस्थ मिनी स्टेडियम	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन	सामुदायिक भवन	शौचालय निर्माण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	खुर्जी	115.029	0.000	0.000	25.500	25.000	0.000	1.250	60.018
2.	खैरागढ़	119.601	0.000	59.500	13.500	0.000	0.000	0.000	74.751
3.	विरेन्द्र नगर	14.245	0.000	7.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.903
4.	राजनांदगांव	141.810	95.000	8.200	22.500	0.000	5.600	0.000	29.256
5.	डोंगरगढ़	102.593	0.000	36.000	18.000	0.000	0.000	0.000	64.121
6.	डोंगरगांव	88.532	0.000	14.000	27.000	0.000	5.000	0.000	55.333
7.	चौकी	185.158	0.000	44.000	12.000	50.000	0.000	0.000	91.974
योग		766.968	95.000	168.700	118.500	75.000	10.600	1.250	384.356

*1.73 लाख का कार्य स्वीकृत होना शेष है.

परिशिष्ट " दो "

[तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 60) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	वर्ष	प्रोफेशनल सी. ए. फर्मों की संख्या	प्रोफेशनल सी. ए. फर्मों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2003-04	22	1. क्रिस्टी वेद, सी. ए., रायपुर 2. राजेन्द्र प्रसाद, सी. ए., रायपुर 3. सुधीर जैन एवं कं., सी. ए., राजनांदगांव 4. सी. कोटेचा एवं एसो., रायपुर 5. छाजेड़ एवं गंधार, सी. ए., दुर्ग 6. जौहरी एवं एसो., सी. ए., रायपुर 7. पाण्डे दुआ एवं माथुर, सी. ए., रायपुर 8. टांक खत्री एवं एसो., सी. ए., बिलासपुर 9. आर. एस. तिवारी एवं कं., बिलासपुर 10. संजीव जैन एवं एसो., सी. ए., रायपुर 11. शशांक मोघे एवं कं., सी. ए., रायपुर 12. आलोक जैन, सी. ए., रायपुर 13. आर. के. सिंघानिया एवं कं., सी. ए., रायपुर 14. आर. कुमार अग्रवाल एवं कं., सी. ए., रायपुर 15. जी. एम. गुप्ता एवं कं., सी. ए., बिलासपुर 16. ए. के. पटारिया एवं कं., सी. ए., रायपुर 17. अशोक कुमार शर्मा एवं एसो., सी. ए., जगदलपुर 18. सुनील कुमार जैन एवं कं., बिलासपुर 19. राजेश मरोती एवं कं., सी. ए., भिलाई 20. जी. एल. जैन एवं एसो., बिलासपुर 21. ओ. पी. सिंघानिया एवं कं., सी. ए., रायपुर 22. बत्रा दीपक एवं एसो., सी. ए., रायपुर
2.	2004-05	निरंक	-
3.	2005-06	20	1. राजेन्द्र प्रसाद, सी. ए., रायपुर 2. बेगानी एवं बेगानी, सी. ए., रायपुर 3. बाम्ब एवं टावरी, सी. ए., रायपुर 4. पाण्डे दुआ एवं माथुर, सी. ए., रायपुर 5. आर. कुमार अग्रवाल एवं कं., सी. ए., रायपुर 6. बत्रा दीपक एवं एसो., सी. ए., रायपुर 7. सुधीर जैन एवं कं., सी. ए., राजनांदगांव 8. आर. गोपाल एसोसिएट्स, रायपुर 9. जी. सी. जैन अग्रवाल एवं कं., रायपुर 10. ओम प्रकाश एस. चपलोट एवं कं., रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
			11. जी. एम. गुप्ता एवं कंपनी, बिलासपुर 12. सुनील कुमार जैन एवं कं., बिलासपुर 13. सी. आर. अरावालिया एवं कं., रायपुर 14. सी. कोटेचा एवं एसो., रायपुर 15. अग्रवाल दिनेश एवं कं., रायगढ़ 16. आर. एस. तिवारी एवं कं., बिलासपुर 17. एम. के. सिंधानिया एवं कं., कोरबा 18. ए. एस. ग्वालरे एवं कं., रायपुर 19. जी. एल. जैन एवं एसो., बिलासपुर 20. अमिताभ अग्रवाल एवं कं., रायपुर
4.	2006-07	निरंक	-

परिशिष्ट " तीन "

[तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 235) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

विधान सभा क्षेत्र बेमेतरा में स्वीकृत सड़कों की जानकारी

स. क्र.	सड़क का नाम	लंबाई (कि. मी.)	स्वीकृत राशि (लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ष 2003-04			
1.	नेवनारा से अकोली	3.60	80.73
2.	गुधेली से ऊफरा	5.65	122.91
3.	मेन रोड से सिलहट ढाबा	6.40	141.92
योग		15.65	345.56
वर्ष 2004-05			
1.	मुख्य मार्ग से तिलई	4.14	70.18
2.	मुख्य मार्ग से करेली	2.31	47.13
3.	आनंदगांव से लावातरा	4.90	104.31
4.	मुख्य मार्ग से कुम्ही	1.80	29.21
5.	मुख्य मार्ग से खमतलाई	1.80	32.43
6.	आनंदगांव से भरदा	2.40	50.4
7.	बालसमुंद से घटोली	8.80	172.16
8.	चारभाठा से विलाई	3.00	61.62
9.	बैजी से केवाछी	4.00	103.61
योग		33.15	671.05
वर्ष 2005-06			
1.	हथमुड़ी से भुरकी	2.32	50.85
2.	कोबिया से फरी	1.33	26.48
3.	भोईनाभाठा से कुसमी	5.43	111.01
4.	बाबामोहतरा से ढारा	4.40	96.57
5.	ढारा से सनकपाट	3.05	72.92
6.	मुख्य मार्ग से फिरीतपुर	5.35	109.45
7.	टेमरी से खम्हरिया	5.20	117.39
8.	तिरैया से रावेली	2.73	58.24
9.	कठिया से पेण्डू	4.05	93.6
10.	रांका से कुरुद	4.50	82.69
11.	मेन रोड से खरां	1.08	25.03
12.	कुसमी से सुरहोली	4.75	113.45
13.	मेन रोड से सोरला	1.10	20.58
14.	बारगांव से बेलौदीकला	3.78	80.71
15.	जोगीपुर से मुनरबोड़	1.20	24.65

(1)	(2)	(3)	(4)
16.	झिरिया से भोथीडीह	4.70	127.27
17.	आन्दू से घठोली	1.40	28.43
18.	बिटकुली से करंजिया	2.00	45.44
19.	खुड़मुड़ी से भैंसा	3.30	78.31
20.	सिंघौरी से रजकुड़ी	6.08	138.22
21.	खिलौरा से तिलईकुड़ा	1.18	24.09
22.	कन्तेली से भीमपुरी	3.65	82.33
23.	मुलमुला से भन्सुली	3.03	73.03
24.	कोसा से नरी	1.50	37.36
25.	डूंडा से बैजलपुर	4.93	112.18
26.	बैजलपुर से सण्डी	2.00	46.19
27.	ढोलिया से रावेली	14.60	315.96
योग		98.64	2192.43
महायोग		147.44	3209.04

प्रपत्र "ब"

ग्राम बैजी के ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 16-05-2006 को बैजी से केवांची सड़क से संबंधित शिकायत की गई थी, जिसमें सड़क की कम लम्बाई, चौड़ाई, उपयोग की जा रही मुरुम, गिट्टी की अनुपयुक्तता, मुरुम की रायल्टी नहीं पटाने, नाली निर्माण नहीं कराने तथा निजी तालाब काटने बाबत उल्लेख किया गया था.

बैजी से केवांछी मार्ग का निर्माण कार्य निर्धारित लम्बाई 4.00 कि. मी. एवं चौड़ाई 3.75 मी. में कराया जा रहा है. वर्तमान में कार्य अपूर्ण है एवं मार्ग के शुरू में ग्राम बैजी में लगभग 100 मीटर हिस्से में नाली निर्माण का कार्य शेष है. उपयोग की गई मुरुम एवं गिट्टी निर्धारित मापदण्ड के अनुसार है. उपयोग की गई मुरुम एवं गिट्टी की रायल्टी की कटौती (राशि रु. 66241.00) ठेकेदार के देयकों से की जाकर नियमानुसार खनिज विभाग में जमा की जा चुकी है. एजेन्सी के मशीन आपरेटर द्वारा गलती से गांव के निजी तालाब के एक हिस्से को काट दिया गया था, जिसे पुनः दिनांक 01-06-2006 तक ठेकेदार द्वारा पूर्ण रूप से बना दिया गया है.

परिशिष्ट " चार "

[तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 292) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

मद संख्या 41-9360 जीवन ज्योति
आय-व्यय की जानकारी वर्ष 2005-2006 मदवार

क्र. (1)	मद का नाम (2)	प्राप्त आवंटन (3)	व्यय (4)	बचत (5)
1.	डीजल/पेट्रोल	220000.00	204267.00	15733.00
2.	औषधि हेतु	85000.00	84865.00	135.00
3.	मशीनी उपकरण हेतु	108000.00	106150.00	1850.00
4.	वेतन/नैमित्तिक	0.00	0.00	0.00
योग		413000.00	395282.00	17718.00

नोट :- आवंटन विकासखण्डवार उपलब्ध नहीं कराया जाता.

परिशिष्ट “पांच”

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 239) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

(राशि रुपये में)				
क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों के लिये 50 प्रतिशत राशि	जनपद पंचायत के लिये 30 प्रतिशत राशि	कुल आवंटित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गुण्डरदेही	5967691.00	3580455.00	9548146.00
2.	पाटन	6393566.00	3835968.00	10229534.00
3.	डौण्डी	3485481.00	2091193.00	5576674.00
4.	धमघा	5951654.00	3570831.00	9522485.00
5.	बेरला	4972578.00	2983413.00	7955991.00
6.	बालोद	3041712.00	1824947.00	4866659.00
7.	बेमेतरा	4598414.00	2758923.00	7357337.00
8.	डौण्डीलोहारा	5994921.00	3596791.00	9591712.00
9.	गुरू	4218173.00	2530791.00	6748964.00
10.	नवागढ़	4330995.00	2598481.00	6929476.00
11.	साजा	4559570.00	2735619.00	7295189.00
12.	दुर्ग	5927245.00	3556188.00	9483433.00
13.	जिला पंचायत स्तर	0.00	0.00	23776400.00
योग		59442000.00	35663600.00	118882000.00

प्रपत्र "ब"

क्र. (1)	जनपद पंचायत का नाम (2)	स्वीकृत कार्यों के नाम (3)	स्वीकृत कार्यों की संख्या (4)
1.	गुण्डरदेही	शौचालय निर्माण	1613
2.		ग्राम पंचायत भवन सह उचित मूल्य दुकान निर्माण	07
3.		आंगनबाड़ी भवन निर्माण	03
योग			1623
1.	पाटन	शौचालय निर्माण	1203
2.		ग्राम पंचायत भवन सह उचित मूल्य दुकान निर्माण	07
3.		आंगनबाड़ी भवन निर्माण	18
योग			1228

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 310) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	सड़क का नाम	कार्य की स्वीकृत राशि	ठेकेदार का नाम	कार्यदिश का दिनांक	अनुबंध के आधार पर कार्य पूर्ण करने की अवधि	भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	भिलाई-मोखला-कोसमखूँटी	189.05 लाख	मे. संजय अग्रवाल	20-05-04	1 वर्ष (वर्षा ऋतु के साथ)	3 नग पुलिया, 4 नग फील्ड क्रासिंग एवं 160 मी. कांक्रिट रोड का कार्य शेष.	दिसंबर - 2006
2.	मोखला-बरभाठा-सीयरा बिरबिरा	172.00 लाख	मे. संजय अग्रवाल	20-05-04	1 वर्ष (वर्षा ऋतु के साथ)	5 नग पुलिया, 1 नग फील्ड क्रासिंग एवं 160 मी. कांक्रिट रोड में स्टोन पेविंग शेष.	दिसंबर - 2006

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 32) के भाग (ख) की जानकारी]

विषय :- ग्राम स्वराज अभियान के दौरान जिला जांजगीर-चाम्पा में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं.

क्र. (1)	की गई घोषणा/कार्य की स्वीकृति (2)
1.	सपोस में हाईस्कूल के लिए भवन निर्माण हेतु रुपये 5.00 लाख
2.	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन सपोस के निर्माण हेतु रुपये 3.00 लाख
3.	सपोस में आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु रुपये 3.00 लाख
4.	ग्राम पंचायत भवन सपोस के निर्माण हेतु रुपये 3.00 लाख
5.	बंधवा तालाब एवं सेमरिया तालाब में निर्मलाघाट बनाने हेतु रुपये 50-50 हजार
6.	ग्राम सपोस में (ज. प. डभरा) सी. सी. रोड निर्माण हेतु रुपये 3.00 लाख
7.	मवेशी बाजार सपोस में हेण्डपंप निर्माण
8.	चन्द्रपुर, खरसिया मेन रोड के पैच सपोस से झुकली के 6.2 कि. मी. का निर्माण
9.	ग्राम हरदो में हाईस्कूल भवन निर्माण हेतु रुपये 6.00 लाख
10.	ग्राम पंचायत भवन/उचित मूल्य के दुकान हेतु रुपये 4.00 लाख
11.	ग्राम हरदी के वस्ती वार्ड क्रमांक - 6 में हेण्डपंप निर्माण
12.	ग्राम हरदी के वार्ड क्रमांक-11 नीम चौक में हेण्डपंप निर्माण
13.	ग्राम हरदी के वार्ड क्रमांक-12 देवांगन पारा में हेण्डपंप निर्माण
14.	श्री रमेश वाधकर आ. शंकर लाल को ट्रायसायकल वितरण करना
15.	श्री अगरमन आ. आनंद राम बंजारे को वैसाखी वितरण करना
16.	श्री वैसाखू आ. बुधराम ग्राम बिरकोनी को ट्राय सायकल वितरण करना
17.	हरदी-जर्वे मार्ग 2.00 कि. मी. का डामरीकरण
18.	न. पा. जांजगीर-नैला में स्काई लिफ्ट एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु रुपये 13.00 लाख
19.	न. पा. जांजगीर-नैला में फायर स्टेशन की स्थापना हेतु रुपये 15.00 लाख
20.	न. पा. जांजगीर-नैला में नगर सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य हेतु रु. 50.00 लाख

परिशिष्ट “आठ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 282) के भाग (क) की जानकारी]

क्रमांक (1)	जिला चिकित्सालय का नाम (2)	खर्च का विवरण (3)
1.	दुर्ग	476495.00
2.	धमतरी	136667.00
3.	जांजगीर	305685.01
4.	जशपुर	239015.00
5.	जगदलपुर (बस्तर)	467224.75
6.	कवर्धा (कबीरघाम)	147121.00
7.	कांकेर (उत्तर बस्तर)	424237.00
8.	कोरबा	280324.00
9.	कोरिया	निरंक
10.	महासमुंद	200000.00
11.	रायगढ़	372000.00
12.	राजनांदगांव	292227.00
13.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	81900.00

नियम 46 (2) के अन्तर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "नौ"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 107) के भाग (क), (ख), (ग) एवं (घ) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्र.	वर्ष	सड़क का नाम	लंबाई (कि. मी. में)	लागत (रु. लाख में)	पूर्ण	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वर्ष 2004-05						
1.	2004-05	भंवरपुर (बुटीपाली) से चिपरीकेना	3.00	76.23	पूर्ण	
2.	2004-05	एन. एच. 06 से गौरटेक	3.50	70.31	पूर्ण	
3.	2004-05	गिरसा से बैलाडुला, किसडा	12.00	229.95	अपूर्ण	
4.	2004-05	कोदवा से चक्रदा	3.60	59.26	अपूर्ण	
5.	2004-05	धनसीर से बोड़ा, बगमल्ला	8.50	150.87	अपूर्ण	
6.	2004-05	पिरदा से चेरगाडोडा	3.20	71.34	अपूर्ण	
7.	2004-05	सांकरा से झगरनडीह	16.00	289.98	अपूर्ण	
योग			49.80	947.94		
वर्ष 2005-06						
8.	2005-06	मुड़पार से रायकोना	4.75	132.16	अपूर्ण	
9.	2005-06	नरसिंगपुर से सीतापुर	1.90	48.41	अपूर्ण	
10.	2005-06	पिरदा से चनाट	12.50	316.50	अपूर्ण	
11.	2005-06	एन. एच. 06 से संकरी	3.83	95.61	अपूर्ण	
12.	2005-06	गौरटेक से कुम्हारी	1.90	52.60	अपूर्ण	
13.	2005-06	पुरुषोत्तमपुर से डोंगरीपाली	6.85	167.16	अपूर्ण	
योग			31.73	812.44		
महायोग			81.53	1760.38		

प्रपत्र “ब”

सड़क निर्माण में मिट्टी, मुरुम, गिट्टी, गिट्टा एवं डामरीकरण की चौड़ाई एवं मोटाई की परत की जानकारी

मिट्टी कार्य की चौड़ाई का निर्धारण सड़क की कुल मोटाई के आधार पर एवं मोटाई की परत क्षेत्र की भौगोलिक संरचना के आधार पर निर्धारित की जाती है. इस हेतु कोई मोटाई निर्धारित नहीं है.

2. मुरुम (सबवेस) की चौड़ाई 4.05 मी. एवं मोटाई सड़क के सबग्रेड के सी. बी. आर. वेल्यु एवं सड़क में यातायात के दबाव के आधार पर IRC SP 20 के अनुसार निर्धारित की जाती है.
3. गिट्टी, गिट्टा दो परतों में की जाती है, ग्रेड-2 की चौड़ाई 3.85 मी., मोटाई 0.075 मी. तथा ग्रेड-3 की चौड़ाई 3.75 मी., मोटाई 0.075 मी. दी जाती है.
4. डामरीकरण की चौड़ाई 3.75 मी. एवं मोटाई 20 मि. मी. दी जाती है.

परिशिष्ट “दस”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 142) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्रमांक	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित सड़कों का नाम
(1)	(2)
1.	बिल्हा दगोरी से भैंसबोड़
2.	सकरी से दलदलिहापारा
3.	बिल्हा से देवकिरारी
4.	एनएच-200 से हरदी
5.	घुरू मेण्ड्रा से पांड
6.	खजूरी मेडपार रोड से सकेती

प्रपत्र “ब”

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा निर्मित सड़कें जिनमें से पूर्व से डब्लू.बी. एम. थी

क्रमांक	सड़क का नाम	रिमार्क
(1)	(2)	(3)
1.	बिल्हा से देवकिरारी	
2.	घुरू मेण्ड्रा से पांड	
3.	खजूरी मेडपार रोड से सकेती	

परिशिष्ट "ग्यारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 319) के भाग (क) की जानकारी]

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 319 के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये नये सेटअप में निम्न महाविद्यालयों के ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारियों के पद समाप्त किये गये हैं।

महाविद्यालयों के नाम जहां क्रीड़ा अधिकारी के पद समाप्त किये गये हैं :-

क्र. (1)	महाविद्यालय का नाम (2)	समाप्त किये गये पद संख्या (3)
1.	शास. विज्ञान महा., रायपुर	01
2.	शास. पी. जी. संस्कृत महा., रायपुर	01
3.	शास. महा., शंकरनगर रायपुर	01
4.	शास. नवीन कन्या महा., रायपुर	01
5.	शास. महा., सिमगा	01
6.	शास. महा., पलारी	01
7.	शास. कन्या महा., बलौदाबाजार	01
8.	शास. महा., बिलाईगढ़	01
9.	शास. पी. जी. छ. ग. महा., रायपुर	01
10.	शास. महा., साजा	01
11.	शास. महा., नवागढ़	01
12.	शास. विज्ञान महा., राजनांदगांव	01
13.	शास. महा., धुमका	01
14.	शास. महा., छुईखदान	01
15.	शास. महा., लालबहादुर नगर	01
16.	शास. महा., रामाटोला	01
17.	शास. महा., छुरिया	01
18.	शास. महा., मानपुर	01
19.	शास. महा., गंडई	01
20.	शास. महा., सहसपुर लोहारा	01
21.	शास. महा., पंडरिया	01
22.	शास. महा., पखांजूर	01
23.	शास. महा., चारामा	01
24.	शास. महा., नारायणपुर	01
25.	शास. महा., सुकमा	01
26.	शास. महा., भोपालपटनम	01
27.	शास. विज्ञान महा., बिलासपुर	01
28.	शास. नवीन कन्या महा., बिलासपुर	01
29.	शास. कन्या महा., पेन्द्रारोड	01
30.	शास. महा., सीपत	01
31.	शास. महा., मुंगेली	01
32.	शास. महा., मस्तुरी	01
33.	शास. महा., पथरिया	01
34.	शास. महा., खरौद	01

(1)	(2)	(3)
35.	शास. महा., मालखरौदा	01
36.	शास. महा., भैसमा	01
37.	शास. महा., कुसमी	01
38.	शास. महा., प्रतापपुर	01

महाविद्यालयों के नाम जहां ग्रंथपाल के पद समाप्त किये गये हैं :-

1.	शास. पी. जी. छ. ग. महाविद्यालय, रायपुर	01
2.	शास. महाविद्यालय, शंकरनगर, रायपुर	01
3.	शास. महाविद्यालय, नवागढ़	01
4.	शास. महाविद्यालय, धुमका	01
5.	शास. महाविद्यालय, रामाटोला	01